

समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड
तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना (पेंशन का प्रार्थना-पत्र)

समाज कल्याण की वेबसाईट

www.socialwelfare.uk.gov.in

1 * आवेदक का नाम कु0/श्री/श्रीमती

2 * पिता/पति का नाम श्री

3 * स्थायी पता-.....

मोहल्ला/ग्राम.....

पोस्टआफिस-.....

ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम.....

न्याय पंचायत विकासखण्ड.....

तहसील..... जनपद.....

नवीनतम् फोटो जो ग्राम प्रधान/सदस्य
क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत
अध्यक्ष/सभासद नगरपालिका/ग्राम
विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापित

4-1 * विकलांगता का प्रकार.....विकलांगता प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न की जाय।

4-2 * विकलांगता का प्रतिशत.....

5 * जाति

6 * जन्मतिथि/आयुआवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो।

(भाग-दो परिवार रजिस्टर की नकल प्रति या शैक्षिक अभिलेख का प्रमाण-पत्र की प्रति)

7 * आवेदक का डाकघर/ई बैंकिंग सुविधायुक्त बैंक शाखा का नाम एवं पता.....

* खातासंख्या

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* IFSC Code No

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

डाकघर/ बैंक शाखा पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट फोटो प्रति संलग्न करें।

8 * वोटर पहचान पत्र संख्या

9 आधार नम्बर

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10 * स्वयं अथवा निकट संबंधी का मोबाइल नम्बर

आवेदक द्वारा घोषणा-

मैं कु0/श्रीमती/श्रीघोषणा करती/करता हूँ कि आवेदन-पत्र में उपरोक्त दी गयी सूचना सही हैं। गलत सूचना के आधार पर मेरे द्वारा लाभ प्राप्त करने पर नियमानुसार मुझसे, सरकार द्वारा दिये गये लाभ की वसूली भू-राजस्व की भाँति कर ली जाय।

दिनांक.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

प्रमाणित किया जाता है कि कु0/श्रीमती/श्री.....पति/पिता.....

.....जो कृषि कार्य करने में विकलांग हुई है, तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना हेतु पात्रता की श्रेणी में आती हैं/आते हैं, का आज खुली बैठक में चयन किया।

ग्रामीण क्षेत्र के लिये

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, के हस्ताक्षर एवं मुहर

ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर एवं मुहर

नोट- * सम्बन्धित कालम अनिवार्य रूप से भरे जाने हैं।

- सम्बन्धित कालम ऐच्छिक/उपलब्धता के आधार रूप से भरे जाने हैं।